जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 166/2016 अनवानी गुरसेब सिंह ग्रेवाल गांव अमरपुरा जाटान वायां सूरतगढ बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16–10–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.08.16 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर (भू.अ.) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. आप के कार्यालय द्वारा उपरोक्त चक बंदी हेतु अति. सम्भागीय आयक्तु बीकानेर के पत्र 527 दिनांक 11.04.2002 की पालना हेतु अपने पत्र 1755 दिनांक 26.04.2002 द्वारा तहसीलदार सूरतगढ से प्रस्ताव मांगा था।
2. तहसीलदार सूरतगढ से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आपने अपने पत्र 2210 दिनांक 18.06.2002 (ए–3) द्वारा 43 ग्रामों की सूची सलंग्न कर एलआर एक्ट 1956 की धारा 106 सर्वेक्षण अथवा पनुः सर्वेक्षण धारा 107 के अधीन अभिलेख कार्य शुरू करने, धारा 108 के अधीन अभिलेख अधिकारी नियुक्त करने के लिये अधिसूचना जारी करवाने के लिये सम्भागीय आयुक्त बीकानेर को लिखा।
3. आपने अपने उपरोक्त पत्र के संबध मे अपने पत्र 3426 दिनांक 25.06.2002 द्वारा शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर से आवश्यक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन करवाने का निवेदन किया है। (ए–4)
4. आपके इस निवेदन पर उप शासन सचिव द्वारा दो अधिसूचनाये
   (1) एल.आर एक्ट 1956 की धारा 107 के अधीन अभिलेख कार्य शुरू करने हेतु
   (2) 108 के अधीन अभिलेख अधिकारी (उपखंड अधिकारी सूरतगढ) को अपर भू–अभिलेख अधिकारी व तहसीलदार सूरतगढ को सहायक भू–अभिलेख अधिकारी) नियुक्त करने हेतु दिनांक 25.05.2003 को प्रकाशन कराई।
5. आपने एलआर एक्ट 1956 की धारा 106 के अधीन सर्वेक्षण अथवा पुनः सर्वेक्षण (रकबा जिस की चक बंदी की जानी है) राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/आयुक्त सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के जिस आदेश के अधीन इस अति महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी न होते हुए अपने पत्र 2919 दिनांक 05.08.2003 द्वारा उपजिला कलक्टर सूरतगढ को चक बंदी कार्य शुरू करने के आदेश प्रदान किये है नकल दी जावे।
6. आदेश की प्रति जिस के अधीन धारा 106 की अधिसूचना जारी न होते हुए भी 43 ग्रामों मे सम्मिलित अमरपुरा जाटान के खसरा 168 की चक बंदी की है को नकल/सूचना उपलब्ध कराई जावे। जिस के अधीन सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के आदेश की अनदेखी की है ।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.8.16 के द्वारा बिन्दु सं0 5 व 6 की सूचना लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से चाही थी जबकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसका आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को प्रेषित कर दिया गया है और उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को केवल बिन्दु सं0 6 की सूचना उपलब्ध करवानी थी किन्तु उनके द्वारा लम्बी चौड़ी इबारत लिख कर जान बूझकर सूचना उपलब्ध नही करवाई है। उसके द्वारा चाही गई सूचना कलक्ट्रेट की भू अभिलेख शाखा से उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा अपने प्रतिवेदन सं0 3444 दिनांक 22.11.2016 के साथ अपीलार्थी को दिये गये उत्तर संख्या 3283 दिनांक 06.10.16 की प्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाहे प्रारूपनुसार कार्यालय का अभिलेख संधारित नही है। चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय मे अभिलेख जिस कदर संधारित है आप व्यक्तिशः उपस्थित आकर नियमानुसार निरीक्षण शुल्क एवं प्रतिलिपि शुल्क का संदाय कर अभिलेख प्राप्त किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत न तो सूचना सृजित करके दी जा सकती है और न ही सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस सन्दर्भ में रिट पिटिशन सं0 419/2007 डॉ0 सेल्सा पिण्टो बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग के प्रकरण में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.04.2008 भी अवलोकनीय है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध है सूचना के रूप में लोक सूचना अधिकारी न तो नई सूचना बना सकते है ओर ना ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना प्राधिकारी का दायित्व यंहा तक है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकारण के पास उपलब्ध है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दू सं0 5 व 6 की सूचना स्पष्ट व निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 06.10.16 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर व उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर उसमें से कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवा दिया जावे और उपलब्ध अभिलेख में से वह जो सूचना प्राप्त करना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख शाखा कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर व उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।